# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

**पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)**

| | | |
|---|---|---|
| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| 191 / 2025 | 21.04.2025 | 07/5/2026 |

**उनवान**

1. मदन लाल पुत्र मिठु लाल कंजर निवासी आरजिया, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज)

— प्रार्थी

**बनाम**

1. अणदा पुत्र गणेश लाल कलाल, निवासी कालसांस, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
2. देवसुख माली पुत्र श्री शंकर माली, निवासी–कालसांस, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
3. प्रेम माली पत्नी श्री शंकर माली, निवासी कालसांस, तहसील व जिला–भीलवाडा।
4. शिव लाल पुत्र श्री शंकर लाल माली, निवासी–कालसांस, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
5. जगदीश पुत्र श्री मांगू हरिजन, निवासी–कालसांस, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
6. रमेश पुत्र श्री मांगू हरिजन, निवासी कालसांस, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
7. राधेश्याम पुत्र श्री मांगू हरिजन, निवासी–कालसांस, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

**–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–**

**उपस्थितः–**

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री विकास जायसवाल उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं।**
3. **अप्रार्थी संख्या 08 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

## –:: निर्णय ::–

07/5/2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विकास जायसवाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1643 रकबा 1.1254 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

07/5/2026
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी ) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1643 रकबा 1.1254 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1500–00 अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

07/04/2026

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा.